

Short Communication

सरकारी योजनाओं का ग्रामीण विकास में योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

महेन्द्र कुमार जैन¹, निखिलेश कुमार जैन²

¹एसो.प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालय, विदिशा

²अतिथि शिक्षक, शासकीय महाविद्यालय रेहटी, सीहोर

“हमारे देश का विकास गांवों के विकास से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। महात्मागांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है, यदि गांवों की कायापलट दी जाए तो समूचे राष्ट्र का विकास सम्भव हो सकेगा। वास्तव में गांवों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली निहित है।”

प्रस्तावना:

भारत सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात देश के आर्थिक, सामाजिक, व गांवों के सार्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई, जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जाति प्रथा व अन्य कुप्रथा, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याएं, गांवों से शहर में हो रहे पलायन को रोकने, आदि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रस्तुत लेख में इन योजनाओं की संक्षिप्त व्याख्या इस उद्देश्य से की जा रही कि इन योजनाओं को पढ़कर या जानकारी में आने पर संबंधित जन इन योजनाओं का लाभ ले सकें।

भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण बाहुल्य देश है, जिसकी की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करती है एवं कृषि संबंधित उद्योग व व्यापार में संलग्न है एवं यही उनके रोजगार का मुख्य साधन भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पूर्णतः ग्रामीण विकास पर आधारित है और निर्भर है और यदि भारत को विकास की ओर ले जाना है तो सबसे पहिले भारत के गांवों का विकास करना होगा, भारत के विकास की रीढ़ गाँवों का विकास है। गांवों

के समग्र विकास के बिना भारत के समग्र आर्थिक, सामाजिक विकास की कल्पना अर्थहीन एवं राष्ट्र की प्रगति सिर्फ एक स्वप्न है क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मागांधी के समग्र चिन्तन एवं दर्शन का केन्द्र भी गाँव ही रहे हैं और ग्राम विकास के लिए ही गाँधीजी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। इसी कल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू की गई। जिनका मूल उद्देश्य ग्रामों में निवासरत लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, स्वच्छ पेयजल, बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना, गाँव के आम लोगों, वंचित तबकों व महिलाओं को सत्ता में भागीदारी और नेतृत्व का संवैधानिक अवसर प्रदान करना व ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर गांवों का तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास करना हैं। भारतीय संविधान की भी हमेशा यही मंशा रही है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसा समाज का निर्माण हो जाएँ कि तरक्की के अवसर सभी को समान रूप प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सरकार के द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाओं का विवरण, उद्देश्य, योजना का स्वरूप उनके लाभ और इन योजनाओं के ग्रामीण समाज पर पड़े प्रभाव व उनके जीवन में आये परिवर्तन का अध्ययन किया गया है,

ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं: भारत सरकार के ग्रामीण

विकास कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ाने के लिए चार सूत्री कार्य नीति लागू की गई है। इस कार्य नीति के चार सूत्र इस प्रकार हैं—

1. कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना
2. कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
3. जनता की भागीदारी बढ़ाना
4. ग्राम सभा का सुदृढ़ बनाकर जबावदेही सुनिश्चित करना।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं बनाते हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं जो कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गयी हैं उनका उल्लेख यहां किया जा रहा है।

1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:-

यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2014 से लागू की गयी है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 15–35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुँचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2014–15 में 52000 उम्मीदवारों को कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा कुशल बनाया गया है।

2. रोशनी: आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना:-

यह योजना 7 जून, 2013 से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गयी है। इस योजना के माध्यम से 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नयी कौशल विकास योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 10–35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं को तीन साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लाभार्थी में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित किया गया है।

3. स्वच्छ भारत मिशन :-

इस योजन की शुरूआत 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा की गयी थी। स्वच्छ भारत मिशन या अभियान का मुख्य उद्देश्य

प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गांवों की साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य 2019 तक शौचालय के निर्माण का प्रतिशत तीन गुना कर वर्तमान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है।

4. सांसद आदर्श ग्राम योजना :-

यह योजना जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव में संस्थागत बुनियादी ढांचक के विकास की जिम्मेदारी लेंगे व अपने क्षेत्र में एक आदर्श गांव की स्थापना करेंगे।

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ किया गया। संक्षिप्त में इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों का काम करने का अधिकार प्रदान करना है। इसके अंतर्गत गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। इस योजना के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाएं होती हैं एवं इस योजना की वित्तीय व्यवस्था में 90 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :-

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, जिसका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी गरीबी दूर करना है। यह योजना देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ की गई हैं। इस योजना के तहत सरकार 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख

रूपये का ऋण प्रदान करती है और जिसे पुनर्भुगतान के समय 4 प्रतिशत तक किया जा सकता है। यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू की गई है।

7. प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना :-

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केन्द्र प्रयोजित पलेगशिप योजना है जिसका उद्देश्य बारहमासी सङ्कों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, गरीबी निवारण की रणनीति के रूप में पात्र असम्बद्ध बसाबटों तक पहुँच स्थापित करना, ग्रामीण सङ्क नियोजन की ट्रिटियों, निधियों की अपर्याप्तता व अप्रत्याशितता एवं ग्रामीण सङ्कों के अनुरक्षण संबंधी कमी को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 आबादी वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले बसाबटों को बारहमासी सङ्को से जोड़ जाएगा, इस योजना के तहत कुल 1,78,184 योग्य आवासीय क्षेत्रों में से 1,45,158 योग्य आवासीय क्षेत्रों को 2017 तक बारहमासी सङ्कों से जोड़कर अपने निर्धारित 82 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा और भी कई परियोजनाएं जैसे— सामुदायिक विकास योजना 1952, खादी एवं ग्रामीण उदयोग कार्यक्रम 1953, कुआं निर्माण योजना 1966, विशेष दुग्ध उत्पादक योजना 1975, ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उदयोग योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, औजार किट कार्यक्रम, पंचायती राज कार्यक्रम जैसी कई योजनाएँ ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा लागू की कई गई हैं जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास जो कि कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों के विकास पर निर्भर है। वही इन कार्यों के लिए आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण रोजगार भी जरूरी है जिससे गांव की निर्धनता दूर होकर उनका कायाकल्प हो सकें। इस दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों की मूल भावना ग्रमीणों को स्वावलम्बी बनाना व ग्रामीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करने की रही है।

इसी लिए इन योजनाओं का जोर शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, लघु कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, गृह निर्माण, भूमि सुधार, सङ्क निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता एवं सम्रग ग्रमीण विकास पर दिया

गया है, जो कि ग्रमीणों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैति एवं नैतिक उत्थान को प्रेरित करता है।

8. उपसंहारः—

ग्रामीण विकास के लिए शासन स्तर पर उपरोक्त प्रयत्नों के अलावा कृषि उत्पादकता व रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जैसे: प्रशीतन गृह व गोदामों या वेयर हाउस का निर्माण, नियमित मण्डियों की स्थापना, परिवहन साधनों का विकास, श्रेणीकरण व मानकीकरण की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन आदि उपाय किए जाते हैं परंतु इन सब कार्य का मूल्यांकन करने पर प्रतीत होता है कि ग्रामीण विकास के लिए जितना खर्च इन योजनाओं पर किया जाता है उनका उतना लाभ इनको नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। देखने में आया है कि इन योजनाओं व कार्यक्रम में संलग्न मध्यस्थ या दलालों व भ्रष्ट तंत्र के कारण उचित मात्रा में लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाया है। अतः इस बात की जरूरत है कि इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का वास्तव में विकास हो सकें। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों की प्रभावी भूमिक व छोटी-छोटी ग्राम समितियां बनाकर उनका सहयोग लिया जा सकता है।